



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935

No. 738]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 866(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
“266	185	केरल राज्य में आदिमाली के निकट नए रारा सं. 85 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चेरुतोनी, पैनावु को जोड़ते हुए और कुमीली के निकट नए रारा सं. 183 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
267	183 ए	केरल राज्य में अदूर के निकट-नए रारा -183 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पठनमतीटा, वाडसेरीक्कारा, लाहाई को जोड़ते हुए और वनडीपेरियार के निकट नए रारा सं. 183 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-13)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 866(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“266	185	The highway starting from its junction with new NH No. 85 near Adimali connecting Cheruthoni, Painavu and terminating at its junction with new NH No. 183 near Kumily in the State of Kerala.
267	183A	The highway starting from its junction with new NH No. 183 near Adur connecting Pathanamthitta, Vadserikkara, Lahai, and terminating at its junction with new NH No. 183 near Vandiperiyar in the State of Kerala.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-13)]

Maya Prakash, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.